

न्यूज़ डुडे

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,040 करोड़ रुपये के परिव्यय से राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-पाम ऑयल (National Mission on Edible Oils - Oil Palm: NMEO-OP) को स्वीकृति प्रदान की

○ राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-पाम ऑयल (NMEO-OP) को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य पाम के बढ़ते क्षेत्रफल और पाम ऑयल की वृद्धिशील उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करके खाद्य तेल आयात पर निर्भरता को कम करना है। इस योजना के लिए एक सूर्यास्त खंड (sunset clause) का भी उपबंध किया गया है, जो 1 नवंबर 2037 है।

➤ NMEO-OP द्वारा वर्तमान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-पाम ऑयल कार्यक्रम को समाहित कर लिया जाएगा।

➤ ज्ञातव्य है कि भारत, खाद्य तेल की अपनी मांग के लगभग दो-तिहाई हिस्से की पूर्ति आयात के माध्यम से करता है। आयातित खाद्य तेल में पाम ऑयल का हिस्सा सर्वाधिक है। इसके उपरांत सोया तेल और सूरजमुखी के तेल का स्थान है।

○ इस योजना में वर्ष 2025-26 तक पाम ऑयल का रकबा (क्षेत्र) 6.5 लाख हेक्टेयर बढ़ाने और इस प्रकार अंततः 10 लाख हेक्टेयर रकबे का लक्ष्य पूर्ण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

➤ वित्त वर्ष 2025-26 तक कच्चे पाम ऑयल (CPO) का उत्पादन 11.20 लाख टन और वित्त वर्ष 2029-30 तक 28 लाख टन तक होने की अपेक्षा है।

➤ पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

○ इस योजना की प्रमुख प्राथमिकता:

➤ पाम ऑयल उत्पादकों को उनके पाम के ताजे फलों के गुच्छों के लिए मूल्य आश्वासन (व्यवहार्यता मूल्य के रूप में) प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में इन गुच्छों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय CPO कीमतों में उतार-चढ़ाव से संबंधित है।

➤ आदानों/हस्तक्षेपों (वृक्षारोपण, रखरखाव और अंतर-फसल हस्तक्षेपों सहित) के लिए सहायता में वृद्धि करना।

○ खाद्य तेल के बारे में:

➤ खाद्य या भोजन पकाने का तेल पौधे, पशु या सूक्ष्मजीव से प्राप्त वसा होती है। यह कक्षा तापमान पर तरल अवस्था में होती है और खाद्य उपयोग में उपयुक्त होती है।

➤ खाद्य तेल के उदाहरण: जैतून का तेल, पाम ऑयल, सोयाबीन का तेल, कैनोला तेल, कद्दू के बीज का तेल, मकई का तेल, सूरजमुखी का तेल, कुसुम का तेल, मूंगफली का तेल, अंगूर के बीज का तेल, तिल का तेल, अर्गन का तेल और चावल की भूसी का तेल।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किए गए किगाली संशोधन के अनुसमर्थन को स्वीकृति प्रदान की

○ किगाली संशोधन के तहत, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकार (Parties to the Montreal Protocol) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) के योगदान के कारण इसके उत्पादन और खपत को चरणबद्ध रूप से समाप्त करेंगे।

➤ HFC औद्योगिक रसायनों का एक समूह है। इसे मुख्य रूप से शीतलन और प्रशीतन में उपयोग किया जाता है। यद्यपि, HFC समताप मंडल में विद्यमान ओजोन परत का क्षरण नहीं करती है, किंतु इसकी उच्च वैश्विक तापन क्षमता 12 से 14,000 के मध्य होती है।

➤ भारत, वर्ष 2032 से चार चरणों में चरणबद्ध रीति से HFC के उपयोग को समाप्त करेगा। इन चरणों के अंतर्गत वर्ष 2032 में 10 प्रतिशत, वर्ष 2037 तक 20 प्रतिशत, वर्ष 2042 तक 30 प्रतिशत तथा वर्ष 2047 तक 90 प्रतिशत कटौती की जाएगी।

○ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध रीति से समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति को वर्ष 2023 तक तैयार किया जाएगा। इस रणनीति को निर्मित करने हेतु सभी उद्योग हितधारकों के साथ आवश्यक परामर्श किया जाएगा।

➤ मुख्य प्रभाव:

○ इससे 105 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड तुल्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की रोकथाम की अपेक्षा है। यह कदम वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान वृद्धि को 0.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने में सहायक सिद्ध होगा।

➤ पर्यावरणीय लाभ के अतिरिक्त, आर्थिक और सामाजिक सह-लाभों को अधिकतम करने के लिए वर्तमान में जारी भारत सरकार के कार्यक्रमों एवं योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा।

➤ उपकरणों के घरेलू निर्माण के साथ-साथ वैकल्पिक गैर-एचएफसी और निम्न वैश्विक तापन संभावित रसायनों के लिए संभावना उत्पन्न होगी।

○ ओजोन परत क्षयकारी पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) ओजोन परत के संरक्षण हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। यह ओजोन परत के क्षयकारी पदार्थों के रूप में संदर्भित मानव निर्मित रसायनों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने पर बल देती है।

➤ यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र संधि है, जिसे संयुक्त राष्ट्र के सभी 198 सदस्य देशों द्वारा अभिपुष्ट किया गया है।

➤ भारत वर्ष 1992 में ओजोन परत क्षयकारी पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक पक्षकार बन गया था। ज्ञातव्य है कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अनुसूची के अनुसार सभी ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध रीति से समाप्त करने के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है।

○ किगाली संशोधन वर्ष 2019 में लागू हुआ था। यह अनुसमर्थन करने वाले देशों के लिए वर्ष 2050 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के अपने उपयोग को 80% तक कम करने की आवश्यकता निर्धारित करता है।



संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की बैठक में विदेश मंत्री ने विचार व्यक्त किया कि शांति स्थापना मिशन अंतर्राष्ट्रीय शांति सुनिश्चित करते हैं

○ इस बैठक में विदेश मंत्री ने विचार व्यक्त किया कि शांति स्थापना (Peacekeeping) मिशन अंतर्राष्ट्रीय शांति सुनिश्चित करने के भारत के विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने एक चार-सूत्रीय रूपरेखा प्रस्तावित की, जो सामयिक खतरों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की सुरक्षा हेतु एक संभावित ढांचा तैयार करेगी।

○ इस रूपरेखा में निम्नलिखित शामिल हैं:

- परिचालनीय रूप से सिद्ध, लागत प्रभावी, व्यापक रूप से उपलब्ध, विश्वसनीय और क्षेत्रीय स्तर पर उपयोग्य (field-serviceable) प्रौद्योगिकियों पर ध्यान देना।
- पूर्व चेतावनी जारी करने और एक सुसंगत एवं शीघ्र प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए एक सटीक सूचना व आसूचना आधार की आवश्यकता है।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से यूनाइटेड अवियर प्लेटफॉर्म (UNITE Aware Platform) लॉन्च किया है। यह एक स्थितिजन्य जागरूकता सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। यह शांति स्थापक सैनिकों के लिए वास्तविक समय (real time) में खतरे के आकलन हेतु आधुनिक निगरानी तकनीक का उपयोग करेगा।
- इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके, संपूर्ण शांति स्थापना अभियान का वास्तविक समय आधार पर अवलोकन किया जा सकता है तथा उसका समन्वय और निगरानी भी की जा सकती है।
- भारत ने आरंभ में संयुक्त राष्ट्र के चार शांति मिशनों यथा— मिनसमा (MINUSMA) (माली), अनमिस (UNMISS) (दक्षिण सूडान), अनफिसिप (UNFICYP) (साइप्रस) और अमिसोम (AMISOM) (सोमालिया) में यूनाइटेड अवियर प्लेटफॉर्म का प्रयोग प्रारंभ करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ भागीदारी की है।
- प्रस्तावित रूपरेखा में यह सुनिश्चित करना भी समाविष्ट है कि शांति सैनिकों के साजो-सामान और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियारों एवं उपकरणों में निरंतर तकनीकी सुधार हो रहा है। साथ ही, ये सभी साधन उन्हें जमीनी स्तर (उनके वास्तविक कार्यक्षेत्र में) पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- रूपरेखा के अंतर्गत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शांति सैनिकों के निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया है।

परागणकों (Pollinators) की संख्या में गिरावट से खाद्य उत्पादन प्रभावित हो सकता है

○ यह निष्कर्ष वैश्विक स्तर पर अपनी तरह के प्रथम अध्ययन का हिस्सा है। इस अध्ययन में परागणकर्ता प्रजातियों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में गिरावट के कारणों और प्रभावों को सूचीबद्ध किया गया है।

○ अन्य प्रमुख निष्कर्ष:

- परागणकों की क्षति के शीर्ष तीन वैश्विक कारणों में उनके पर्यावासों का विनाश, अनुचित भूमि प्रबंधन, (यथा— मुख्य रूप से चारण, उर्वरकों का प्रयोग और एकल फसली कृषि पद्धति) तथा कीटनाशकों का व्यापक स्तर पर उपयोग शामिल हैं।
- मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा जोखिम फसल परागण में कमी तथा खाद्य और जैव ईंधन फसलों की गुणवत्ता एवं मात्रा में गिरावट है।



➤ इस अध्ययन से ज्ञात होता है कि चीन और भारत, फल एवं सब्जियों की फसलों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। ज्ञातव्य है कि इन फसलों को विकसित होने के लिए परागणकों की आवश्यकता होती है। अब कुछ फलों/सब्जियों की फसलों का परागण कृत्रिम रूप से करने की आवश्यकता है।

○ परागणकर्ताओं के बारे में

- एक परागणकर्ता, पराग को पुष्प के नर भाग (पुंकेसर) से उसी या किसी अन्य पुष्प के मादा भाग (वर्तिकाग्र) तक ले जाने में सहायता करता है।
- पौधे के निषेचित होने और फलों, बीजों और युवा पौधों का उत्पादन करने के लिए पराग कणों (pollens) का स्थानांतरण होना आवश्यक है।
- कुछ पौधे स्व-परागण (self-pollination) करते हैं, जबकि अन्य वायु या जल द्वारा स्थानांतरित पराग कणों द्वारा निषेचित होते हैं।
- कुछ अन्य पुष्प विभिन्न कीटों और जीवों द्वारा परागित होते हैं— जैसे कि मधुमक्खी, ततैया, पतंगे, तितलियां, पक्षी, मक्खियाँ और चमगादड़ सहित अन्य छोटे स्तनधारी जीव।

● संयुक्त राष्ट्र शांति सेनाएं, देशों को संघर्ष से शांति स्थापना की ओर शीघ्र संक्रमण करने में मदद करने हेतु सुरक्षा व राजनीतिक एवं शांति-निर्माण सहायता प्रदान करती हैं।

➤ संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन पक्षकारों की सहमति से निर्देशित होते हैं। इस सहमति के प्रमुख घटकों में निष्पक्षता तथा आत्मरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश की रक्षा के अतिरिक्त अन्य किसी परिस्थिति में बल का प्रयोग न करना शामिल है।

खान मंत्रालय ने 'खनिजों के पूर्वक्षण संचालन (Prospecting Operations) के लिए निजी अन्वेषण एजेंसियों के प्रत्यायन की योजना' को अपनाया है

○ यह योजना भारतीय गुणवत्ता परिषद-राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड (National Accreditation Board for Education and Training of the Quality Council of India: QCI-NABET) द्वारा विकसित की गई है। यह निजी अन्वेषण एजेंसियों को सम्मिलित करते हुए खनिज क्षेत्र की आर्थिक क्षमता का दोहन करने के लिए एक प्रमुख विनियामक सुधार है।

➤ QCI भारत सरकार और भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक गैर-लाभकारी संस्था है। यह राष्ट्रीय प्रत्यायन संरचना को स्थापित एवं संचालित करने तथा राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान द्वारा गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने हेतु प्रयासरत है।

➤ NABET, भारतीय गुणवत्ता परिषद के घटक बोर्डों में से एक है।

○ खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम [The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act], 1957 को संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा संशोधित किया गया था। इस संशोधन के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन पूर्वक्षण संचालन करने में सक्षम संस्थाओं सहित निजी संस्थाओं को भी अधिसूचित करने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान किया गया है।

➤ सरकार ने राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के माध्यम से निजी अन्वेषणकर्ताओं को निधि प्रदान करने का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

➤ वर्तमान में, केवल सरकारी एजेंसियाँ ही अन्वेषण में शामिल हैं, इसलिए अन्वेषण की गति उनकी क्षमता के अनुसार सीमित है।

○ महत्व:

- यह योजना अन्वेषण के क्षेत्र में नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने में भी मदद करेगी।
- इससे क्षेत्र में नवीनतम तकनीक और विशेषज्ञता समाविष्ट करने में सहायता प्राप्त होगी।
- इससे अन्वेषण की गति में वृद्धि होगी।
- क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

अन्य सुर्खियाँ



केंद्र ने पुलिस बलों में दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित 4 प्रतिशत कोटा/आरक्षण को समाप्त कर दिया है

- कार्य की प्रकृति और प्रकार को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 [Rights of Persons with Disabilities Act (PwDA), 2016] की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पदों या पुलिस बलों में दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित कोटा/आरक्षण के प्रावधान को समाप्त कर दिया है:
 - भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के सभी पद,
 - रेलवे सुरक्षा बल,
 - दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली के लिए पुलिस बल,
 - केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सभी लड़ाकू पद।
- ज्ञातव्य है कि PwDA में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप यह अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में 4% कोटा/आरक्षण प्रदान करता है।
- इससे पूर्व वर्ष 2018 में, सरकार ने सशस्त्र बलों में लड़ाकू कर्मियों के सभी श्रेणियों से संबंधित पदों के लिए इस प्रावधान से छूट प्रदान की थी।



आरोग्य धारा 2.0

- इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority: NHA) द्वारा आयोजित किया गया था। इसका आयोजन आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री-जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के अंतर्गत 2 करोड़ लोगों को चिकित्सालय में उपचार उपलब्ध कराये जाने के उपलक्ष्य में किया गया था।
 - इसका उद्देश्य लोगों के बीच AB PM-JAY की पहुंच को बढ़ावा देना तथा इसके बारे में और अधिक जागरूकता का प्रसार करना है।
- NHA द्वारा निम्नलिखित तीन पहले भी आरंभ की गई हैं:
 - आयुष्मान मित्र: इसका उद्देश्य, इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सत्यापन हेतु प्रेरित करने व आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने में मदद करने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करना है।
 - अधिकार पत्र: यह AB PM-JAY के लाभार्थियों के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला एक वेलकम नोट (स्वागत पत्र) है।
 - अभिनंदन पत्र: यह लाभार्थी को प्रदान किया जाने वाला एक धन्यवाद पत्र है।



सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और यातायात कानून-पालन के लिए अधिसूचना

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road transport and Highways: MoRTH) ने अधिकारियों को यातायात संचालन की निगरानी करने में सक्षम बनाने तथा नियमों का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध ऑनलाइन चालान जारी करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।
- ये नियम इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन युक्तियों (Electronic Enforcement Devices: EED) जैसे कि गति मापने वाले कैमरा, क्लोज-सर्किट टेलीविजन (CCTV) कैमरा आदि के उपयोग के लिए विस्तृत प्रावधान निर्दिष्ट करते हैं।
- हालांकि, निम्नलिखित स्थानों पर EED के अंगीकरण एवं अनुपालन का दायित्व राज्य सरकारों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा:
 - राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों पर स्थित उच्च जोखिम और उच्च घनत्व वाले गलियारे।
 - कम से कम दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रमुख शहरों तथा नियमों में निर्दिष्ट 132 शहरों के महत्वपूर्ण चौराहे एवं गोल चक्कर।



पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited (NERAMAC))

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NERAMAC के लिए पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे विभिन्न नवीन योजनाओं को लागू करने में मदद मिलेगी। इसमें बेहतर कृषि सुविधाएं प्रदान करना, क्लस्टर/समूहों में किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा जैविक बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं।
- NERAMAC को निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु स्थापित किया गया था:
 - पूर्वोत्तर भारत के किसानों/उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने में मदद करना,
 - किसानों और बाजार के मध्य मौजूदा अंतराल को समाप्त करना,
 - पूर्वोत्तर क्षेत्र के कृषि, खरीद, प्रसंस्करण और विपणन संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार करना आदि।
- NERAMAC के तहत बागवानी उत्पादों के विकास और विपणन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।
- NERAMAC, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन एक निकाय है।



नीलकुरिंजी फूल

- कर्नाटक की मंडलपट्टी की पहाड़ियां इन दिनों नीले नीलकुरिंजी के फूलों से खिल उठी हैं। ज्ञातव्य है कि नीलकुरिंजी के फूल प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार खिलते हैं।
 - यद्यपि, 12 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद ये फूल पूर्ण रूप से खिलते हैं, तथापि ये फूल भिन्न-भिन्न स्थानों पर अलग-अलग समय में खिलते रहते हैं। पिछले वर्ष पश्चिमी घाट के अनाकारा मेडू पहाड़ियों पर इन फूलों के खिलने की सूचना प्राप्त हुई थी।
- नीलकुरिंजी फूल के बारे में:
 - ये झाड़ी के समान उगने वाले पौधे हैं जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट के शोला वनों में पाए जाते हैं।
 - नीलगिरी (जिसका अर्थ है नीला पर्वत) का नामकरण नीलकुरिंजी के बैंगनी-नीले फूलों के नाम पर किया गया है।

 डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज 5.0	○ इसे रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार-रक्षा नवाचार संगठन (Innovations for Defence Excellence & Defence Innovation Organisation: iDEX-DIO) के अंतर्गत आरंभ किया गया है। ○ iDEX का उद्देश्य रक्षा व एयरोस्पेस में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा नवाचार और प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs), स्टार्ट-अप्स, व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों, अनुसंधान एवं विकास (R&D) संस्थानों और शिक्षाविदों सहित उद्योगों को शामिल किया जाता है। ➤ DIO एक "गैर-लाभकारी" कंपनी है, जो iDEX ढांचे को संचालित करती है। रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा iDEX नेटवर्क की स्थापना और प्रबंधन के लिए DIO को वित्त उपलब्ध कराया जाएगा।
 उन्नत चैफ प्रौद्योगिकी (Advanced chaff technology)	○ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation: DRDO) ने लड़ाकू विमानों को शत्रुओं के रडार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक उन्नत चैफ प्रौद्योगिकी विकसित की है। चैफ प्रौद्योगिकी के बारे में: ➤ एक चैफ मुख्य रूप से एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम है। इसका उपयोग अत्यधिक संवेदनशील लक्ष्यों जैसे कि लड़ाकू विमानों या नौसेना के जहाजों को शत्रु की मिसाइलों के रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) मार्गदर्शक प्रणाली से बचाव के लिए किया जाता है। ➤ वायु में तैनात चैफ, मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली को गुमराह या विचलित करने के लिए स्वयं को बहु-लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार, यह शत्रु के रडार को लक्ष्य से भटकाने या विरोधी मिसाइलों को गुमराह या विचलित करने में मदद करता है।
 महाराजा रणजीत सिंह	○ लाहौर में स्थित महाराजा रणजीत सिंह की एक मूर्ति पर हमला कर उसे तोड़ दिया गया है। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में: ➤ उनका जन्म सन् 1780 में गुजरावाला (वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित) में हुआ था। वे सन् 1792 से 1801 तक सुकरचकिया मिसल के प्रमुख थे। उन्होंने प्रथम सिख साम्राज्य की स्थापना की तथा वे सन् 1801 से 1839 तक 38 वर्षों के लिए उसके प्रथम शासक भी रहे थे। ➤ वे एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। उनके पास एक आधुनिक सेना भी थी। उन्होंने अंग्रेजों के साथ दो संधियां भी की थी यथा—अमृतसर की संधि और लाहौर की संधि। ➤ लाहौर (उनके साम्राज्य की राजधानी) को अफगान आक्रमणकारियों से मुक्त कराने में सफल होने के कारण उन्हें पंजाब के शेर (शेर-ए-पंजाब) की उपाधि से नवाजा गया था। ➤ उनका राजकोष कोहिनूर हीरे से सुशोभित था। उन्होंने अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का भी पुनर्निर्माण कराया था।



8468022022, 9019066066



www.visionias.in



/c/VisionIASdelhi



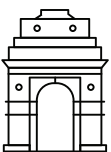
/Vision_IAS



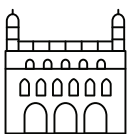
/visionias_upsc



/VisionIAS_UPSC



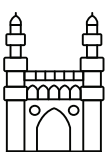
दिल्ली



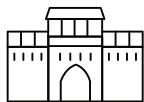
लखनऊ



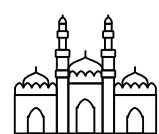
जयपुर



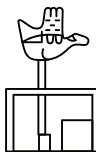
हैदराबाद



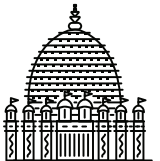
पुणे



अहमदाबाद



चंडीगढ़



गुवाहटी